

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
प्राण प्रदेस राजधानी।**

संख्या- प्राथि/परिच/सम्बद्धता/2020/1811

अवकाश दिनांक 18-9-2020

-कार्यालय धारण-

कठिन भारतीय उपमहादीप शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय प्राथमिक शिक्षा इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विदेशी भारतीय उपमहादीप शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, प्राण प्रदेस राज्य से सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अलग प्राथमिक शिक्षा परिषद, प्राण प्रदेस राज्य की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग/साध्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि अतिरिक्त अन्य नवीन विभाग कक्षा हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मद्र-02 में विधायक इन इन्डिया साध्यक्रम संवर्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय किया गया -

सिद्धी क्षेत्र में स्थापित विभागाध्यक्ष इन इन्डिया साध्यक्रम संवर्धित करने वाली विधायक भारतीय उपमहादीप शिक्षा संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, प्राण प्रदेस राज्य से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एंजॉयमेंट/एडिशनल द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्ताव अनुमोदन विभाग प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एंजॉयमेंट/एडिशनल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विभाग के अनुसार उनके नाम से सम्बन्ध अतिरिक्त साध्यक्रम/प्रवेश क्षमता को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एंजॉयमेंट/एडिशनल द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्ताव अनुमोदन विभाग के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अलग सम्बद्धता समिति की बैठक में सिद्धी गरी उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में किम संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, प्राण प्रदेस राज्य द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित कक्षा की अतिरिक्त साध्यक्रम एवं प्रस्ताव अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	साध्यक्रम का नाम	एंजॉयमेंट/एडिशनल / द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	एंजॉयमेंट/एडिशनल प्राथमिक शिक्षा संस्था, प्राण प्रदेस राज्य, प्राण प्रदेस राज्य।	इंटरमिडिएट एवं अनुमोदित प्राथमिक शिक्षा।	80 80	80 80

सम्बद्धता हेतु सत्र

- ✓ सत्र एंजॉयमेंट/एडिशनल द्वारा निर्धारित की गयी कक्षा का पूर्णतः प्रदान करेगी।
- ✓ सत्र प्राण प्रदेस प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 संशोधन विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधायक एवं कार्यवाही का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्यीय इन्डिया साध्यक्रमों हेतु रु० 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्यीय भारतीय साध्यक्रम हेतु रु०- 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्यीय साध्यक्रमों (दो वर्यीय भारतीय साध्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,800.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक की अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क को सम्बन्ध में समय-समय पर मासिक द्वारा निर्गत किये जाने वाले बरसबंद प्रभावी होवे, और अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीर्य निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, तो वीर्य को नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ सत्र को (प्राण प्राथमिक शिक्षा परिषद) तथा उपर सचिवालय, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमवली-2018 की कक्षा का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्र में संयुक्त प्रवेश प्रवेश परिषद द्वारा आवेदित कक्षा की ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों की कक्षा एवं प्रवेश की स्थिति में सत्र प्रवेश क्षमता के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

*(Handwritten Signature)*

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णित सार्वजनिक छुट्टी अनुसूची निर्धारण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआरटीआई/टीआई/टीआई से अलग-थलग रूप से अनुसूची प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्पित नये विधि/नियमों/अधिनियमों/सार्वजनिक/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल द्वारा कल्पित नये नियमों, अधिनियमों, निर्देशों का पालन करने को विधि बंध्य होगी।
- ✓ शिक्षण इन कार्यवाही कार्यक्रम को संचालित करि पी.जी.आई. नई दिल्ली से अनुसूची प्राप्त करने में उत्पन्न खर्च ही ही इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विशेष रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंधन प्राप्त किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश की संस्था में यह आवश्यकता प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षण इन कार्यवाही कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व पी.जी.आई. से अनुसूची प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यनिर्देशों के माध्यम से कल्पित संस्था द्वारा यह सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्णित नवीनतम आवेदन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएँ, संरचना, सार्वजनिक, आवागमन, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क, आवागमन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त आवागमन उपलब्ध कराने को साथ ही साथ रोकने के संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में उत्तरांचल/समाहित कार्यक्रम को कलावे जाने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपलब्ध कराये नये अधिनियम, सुविधा-व्यवस्था, अधिनियम, उपलब्धता इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उत्तरांचल का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था विधि देने की अनुमति को जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने कालांतर शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूची-आवक कार्यवाही की जायेगी।

(सह कार्यवाही विधि)  
सचिव

युक्त- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1072-3141

तारीख: 15-08-2020

प्राथमिक-उत्तरांचल/निर्देशक, एमआरटीआई/टीआई/टीआई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश शासन, पी.जी.आई. नई दिल्ली।

2020

(सह कार्यवाही विधि)  
सचिव

**कार्यालय,**  
**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिष/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय शाय:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्योमा त्तीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्थात् नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार- पाठ्यक्रम- प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1594.F I T ENGINEERING COLLEGE, KASERU BAKSAR, GREEN PARK, MAWANA ROAD, MEERUT

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1963 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992-सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं ने शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनवशेष प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समस्त-सम्पत्त पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्था परिसरों में शुरू, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था साथ उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई दाव दायर किया जाता है तथा दाव दाद के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की पतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त पतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघातित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अर्थात् उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग) के माध्यम से अर्थात् संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिक्षण हेतु उपर्युक्त पंजाकरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघातित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सजा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसन्धानात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पूजसं0- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पतिवृत्ति:-

प्रधानकार्यालय/निदेशक F.I.T ENGINEERING COLLEGE, KASERU BAKSAR, GREEN PARK, MAWANA ROAD, MEERUT



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या:- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**कार्यालय ज्ञापः**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मिसी कार्यान्वित ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु विपरीत राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सत्रों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुश्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1594-F I T ENGINEERING COLLEGE**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत वासनावेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मिसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मिसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनद्वारा प्रभावी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

- ✓ संस्था की समग्र-समग्र पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और कठिनाई रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई डाढ़ बाधर किया जाता है तथा बाधर डाढ़ के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा चायेंक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद काउन्सिलिंग को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समग्र-समग्र पर निर्गत नवीनतम (आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा)।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, स्टाफ, डाढ़-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगिग रोडने के मध्यम में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अकेले नवीन निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सजा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

प्रा०सं० प्राशिक्षापरिषद सम्बद्धता/2022/7518-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, FIT ENGINEERING COLLEGE



(एफ०आर० खान)

